रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102022-239562
CG-DL-E-11102022-239562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4605] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944
No. 4605] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4815(अ).—केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से, उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ जारी करने का प्रस्ताव करती है; और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को समाविष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव केंद्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: sujit.baju@gov.in और diriapolicy-moefcc@gov.in पर इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् 60 दिनों के भीतर प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो उसकी अनुसूची (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) में शामिल परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की आवश्यकता के संबंध में थी;

और, कम कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से विकास करने की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का निर्बाध एकीकरण करना तथा बेहतर ग्रिड सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऊर्जा भण्डारण की आवश्यकता बढ़ रही है और इसके द्वारा पंपयुक्त भण्डारण संयंत्रों (पीएसपी) का विकास महत्वपूर्ण है।

और, पर्यावरणीय स्वीकृति की दृष्टि से, पीएसपी को जल विद्युत परियोजनाओं की श्रेणी में ही माना जाता है और इसलिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उन पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंध लागू होते हैं।

और, परंपरागत जलविद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई और जलापूर्ति परियोजनाओं की तुलना में ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव कम होते हैं और इसलिए इन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है।

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिसूचना में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में :-

मद सं. 1(ग) में,

क. कॉलम (2) में :-

"(i) नदी घाटी परियोजनाओं" शब्दों को "पंप भण्डारण परियोजनाओं/पंप भण्डारण परियोजनाओं (पीएसपी) से युक्त अथवा उसके बिना संचालित नदी घाटी परियोजनाओं" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा

ख. कॉलम (5) में :-

अधोटिप्पणी : मौजूदा अनुच्छेदों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा :-

"(iv) पीएसपी का मूल्यांकन पीएसपी के लिए मंत्रालय द्वारा जारी विशेष शर्तों (टीओआर) के आधार पर किया जाएगा। जो पीएसपी नीचे दिए गए सभी मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका मूल्यांकन विद्युत उत्पादन क्षमता पर विचार किए बिना बी 2 श्रेणी के रूप में किया जाएगा: (क) जिन परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृति और / या वन्यजीव स्वीकृति अपेक्षित नहीं है, (ख) वे परिजनाएं जिनमें किसी नए जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता है (ग) वे परियोजनाएं जिनमें मौजूदा जलाशय को विस्तारित और / या संरचनात्मक रूप से परिवर्तित नहीं किया जाता है।"

[फा. सं. आईए-3 -22/33/2022-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और इसे का.आ. 3194 (अ), तारीख 14, जुलाई 2022 को अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2022

S.O. 4815(E).—Whereas, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of subsection (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi110 003, or send it to the e-mail address at sujit.baju@gov.in and diriapolicy-moefcc@gov.in on or before 60 days after the publication of this Notification.

Draft Notification

Whereas, the Environment Impact Assessment (EIA)Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding requirement of prior Environmental Clearance (EC) for the projects covered in its schedule (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas, in view of India's commitment for low-carbon path of development, it is necessary to have smooth integration of renewable energy into the grid and to have greater grid safety and stability. In this context there is a growing need for energy storage and thereby the development of Pumped Storage Plants (PSPs) is critical.

And whereas, from the environmental clearance angle, PSPs are considered in the same category as hydropower projects and as such attract the provisions of EIA notification 2006 for getting Environmental Clearance.

And whereas, the environmental impacts of such projects are less as compared to classical hydro projects as well as irrigation and water supply projects and therefore there is a need to rationalise the EC process for these projects.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification: -

In the said notification, in the Schedule: -

In item 1(c),

A. in column (2):-

The words *"(i) River Valley projects"* shall be substituted with the words *"(i) River Valley projects with or without Pump Storage Projects / Pump Storage Projects (PSPs)"*

B. in column (5):-

Under Note: after the existing paras, the following shall be inserted.

"(iv) PSPs shall be appraised based on specific ToRs issued by the Ministry for PSPs. The PSPs which meet all the criteria given below shall be appraised as B2 category irrespective of power generation capacity: (a) Projects which do not attract FC and/or WL Clearance, (b) Projects wherein no new Reservoir is created (c) Projects wherein the existing reservoir is not expanded and/or structurally modified."

[F. No. IA3-22/33/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 3194(E), dated the 14th July, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.11 19:54:05 +05'30'